

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

अन्तर सिंह नेहरा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
45/रेफरेंस/12

तारीख दायरा
05.09.2012

तारीख निर्णय
16.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

महावीर पुत्र गोपाल,कैलाशी,प्रकाशी,हल्ली पुत्रियां गोपाल,रूपा बेवा गोपाल
मृतक रमकू पुत्री मोडू जर्ये का.मु. प्रकाशीबाई, धापूबाई पुत्रियां रमकू
किशना पुत्र मथुरा, जातियान गूजर,
निवासी ग्राम भाण्डगुंवार, तहसील इन्द्रगढ

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थी महावीर एवं किशना की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर एड.
शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार इन्द्रगढ ने अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण
की खातेदारी की भूमि ग्राम भाण्डगुंवार के खसरा संख्या 147 रकबा 0.14
हेक्टेयर को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म **तलाई** राजस्व रेकार्ड
में अंकित कराने तथा अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्टी को निरस्त करने
हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को
वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित
न्यायालय नहीं आने के कारण कैलाशी, प्रकाशी, हल्ली के विरुद्ध दिनांक
10.07.13 एवं प्रकाशीबाई व धापूबाई के विरुद्ध दिनांक 26.05.20 को एकपक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई गई।



/

जिला कलेक्टर; बून्दी

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा संख्या 77/1 रकबा 15 बिस्वा) की किस्म 1947 से पूर्व तलाई दर्ज रेकार्ड थी एवं यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को पूर्वानुसार तलाई राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी महावीर व किशना के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि वादग्रस्त आराजी कभी गैर मुमकिन तलाई नहीं रही हैं और न ही इसमें पानी भरता है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के जमाने से ही काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्त कर रहे है, यही भूमि अप्रार्थीगण की आजीविका का साधन है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। रेफरेंस अवधि बाधित पेश किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेंस प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2004, मिलान क्षेत्रफल 1995 से 2015 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम भाण्डगुंवार की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या 77/1 थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **तलाई** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ग्राम भाण्डगुंवार के खसरा संख्या 77/1 रकबा 15 बिस्वा के नये खसरा संख्या 105 बने तथा उक्त खसरा सं. 105 रकबा 15 बिस्वा के नये खसरा संख्या 147 रकबा 0.14 हैक्टेयर बने। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं.1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 9213-9244 दिनांक 13.11.2007 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं।



जिला कलेक्टर; बून्दी



परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम भाण्डगुंवार में विस्थित भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.14 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत् राजकीय सिवायचक किस्म "तलाई" दर्ज करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर को किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten signature)
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर, भुन्डी
जिला कलेक्टर, भुन्डी

